राजस्थान सरकार
कार्यालय अतिरिक्त निदेशक,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
(साधारण बीमा निधि)
द्वितीय तल, डी—ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर—302005
Phone No. 0141-2740219
e-mail add.gis.sipf@rajasthan.gov.in

क्रमांकः-GIF/GIS/SSI/Aided-Non Aided/2018-19/ 1384 दिनांक :- 08.07.2021

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः— विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के सम्बन्ध में।
संदर्भ राजस्थान सरकार वित्त (बीमा) विभाग का पत्रांक प.5(6) वित्त/बीमा/2020 दिनांक 16.06.2021

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा संचालित "विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना" विद्यार्थियों की दुर्घटना बीमा का जोखिम वहन करने के लिये लागू इस योजना के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का दुर्घटना बीमा भी किया जा रहा है। इस विभाग में प्रीमियम प्राप्त होने की दिनांक से आगामी एक वर्ष तक बीमित विद्यार्थियों की दुर्घटनावश होने वाली मृत्यु/क्षति की स्थिति में पॉलिसी नियमानुसार जोखिम वहन की जाती है। अब तक महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये 50 रूपये प्रति विद्यार्थी प्रति एक लाख रूपये बीमाधन की दर से प्रीमियम प्राप्त किया जाता रहा है। पॉलिसी वर्ष 2020—21 में 100 रूपये प्रति विद्यार्थी की दर से प्रीमियम प्राप्त कर प्रति विद्यार्थी 2 लाख रूपये बीमधन वाली पॉलिसी इस विभाग के जिला कार्यालयों द्वारा जारी की गई थी।

वर्तमान में, इस दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत प्रीमियम दर को संशोधित कर अब एक लाख रूपये बीमाधन के लिये प्रीमियम दर 50 रूपये के स्थान पर मात्र 10 रूपये निर्धारित की गई है। इस प्रकार महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु 2 लाख रूपये प्रति विद्यार्थी बीमाधन की पॉलिसी के लिए प्रीमियम 100 रूपये के स्थान पर 20 रूपये प्रति विद्यार्थी ही होगा।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु दो लाख रूपये बीमाधन वाली पॉलिसी लिये जाने के सम्बन्ध में कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के अधीनस्थ समस्त महाविद्यालयों को निर्देशित करने का श्रम करें कि आगामी सत्र से विद्यार्थियों का प्रीमियम 20 रूपये प्रति विद्यार्थी के अनुसार गणना कर इस विभाग के जिला कार्यालयों को भिजवाया जावे।

संलग्नः— संदर्भित पत्र

(सुनील बंसल)
अतिरिक्त निदेशक (जीआईएस)
साधारण बीमा निधि,
राजस्थान जयपुर

E:\Ravindra kantwa\SSAI\letter.docx 13

कमॉकः—एफ—24( )विविध/अकाद/आकाशि/2019/ 79 दिनांकः-8 जुलाई 2021

पृष्ठांकित प्रतिलिपि — निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान ।
2. समस्त क्षेत्रीय सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान ।
3. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड करने के हेतु प्रेषित है ।

8/7/21
डॉ0 सौमित्र नाथ झा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।

ADDI (GIS)

निदेशक

पत्र प्राप्ति
संख्या 864
दिनांक 18 JUN 2021
जयपुर

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक प.5(6)वित्त/बीमा/2020 जयपुर, दिनांक 16 JUN 2021

निदेशक,
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः—राजकीय विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य शिक्षण संस्थानों हेतु विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना 2020—21 के संबंध में।

सन्दर्भः—आपका पत्रांक जीआईएफ/जीआईएस/एसएसआई/ एआईडीईडी—एनओ एआईडीईडी/2018—19/994 दिनांक 27.05.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार स्पष्ट किया जाता है कि इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 17.02.2021 के द्वारा सभी राजकीय विद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं यथा निजी विद्यालयों, निजी/राजकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की दुर्घटना जोखिम को वहन करने के उद्देश्य से 10/—रूपये प्रति एक लाख रूपये बीमाधन के आधार पर दुर्घटना बीमा कवरेज उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई है।

यह वित्त विभाग में बारकोड़ संख्या 322100208 दिनांक 09.06.2021 पर सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय

16/6/2021

(वेद प्रकाश गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

JD (SPA)

C.S. Mishra 24/6/2021

153
24-06-21

F.5 (5) 20